

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

के अन्तर्गत उद्यानिकी फसलो हेतु पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित रबी 2019-20 तक

**HDFC
ERGO**

Take it easy!

सुरक्षित किसान देश का अभिमान, एचडीएफसी एर्गो जनरल इश्योरेंस कम्पनी के साथ

अपनी फसलो को निम्नलिखित विभिन्न घटकों से दे सुरक्षा

1. अतिवृष्टि या वर्षा बेमौसम वर्षा
2. तापमान-कम तापमान, अधिक तापमान
3. सापेक्षिक आर्द्रता
4. वायु की तीव्रता
5. या इनमे से किन्हीं 2-3 घटकों का संयोजन
6. ओलावृष्टि

अनुमोदित जिले:

इंदौर, देवास, आगर-मालवा, गुना, राजगढ़, सिवनी, अशोकनगर, सिंगरौली, रीवा, सतना, सिधी, सागर, सीहोर, अनूपपुर, भोपाल, छतरपुर, दमोह, पन्ना, रायसेन, बालाघाट

बीमित राशि और प्रीमियम :- अधिसूचना के अनुसार, अधिसूचित फसलो हेतु प्रीमियम दर लागू।

मौसम	अधिसूचि जिले	अधिसूचि फसल	बीमित राशि प्रति हेक्टेयर	कृषक द्वारा देय प्रीमियम प्रति हेक्टेयर
रबी 2019-20	समस्त	टमाटर, बैंगन, फूलगोभी, पत्तागोभी	61522.50	3076.13
रबी 2019-20	समस्त	हरी मटर	25593.75	1279.69
रबी 2019-20	समस्त	लहसुन	47325.00	2366.25
रबी 2019-20	समस्त	धनिया	25593.75	1279.69
रबी 2019-20	समस्त	आम	51236.25	2561.81
रबी 2019-20	सीहोर, रीवा	अनार	122850.00	6142.50
रबी 2019-20	समस्त	आलू	78750.00	3937.50
रबी 2019-20	समस्त		47287.50	2364.38
रबी 2019-20	समस्त	प्याज	47325.00	2366.25

एचडीएफसी अर्गो जनरल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आइआरडीएआइ रेजि. नं. 146। सीआइएन: U66030MH2007PLC177117। पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट ऑफिस: 1ली मंजिल, एचडीएफसी हाउस, 165-166 बैकबे रेक्लेमेशन, एच. टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - 400 020। जोखिम के कारकों, नियमों व शर्तों के विषय में अधिक जानकारी के लिये कृपया विक्री पूरी करने से पहले सेल्स ब्रोशर / प्रोस्पेक्टस ध्यान से पढ़ें। ऊपर दिया गया ट्रेड लोगो एचडीएफसी लिमिटेड और अर्गो इंटरनेशनल एजी की संपत्ति है, जिसका इस्तेमाल कंपनी द्वारा लाइसेंस के अधीन किया जा रहा है। यूआइएन: CSC-Restructured Weather Based Crop Insurance - HDE-AG-P18-26-V01-17-18, Restructured Weather based Crop Insurance Scheme - IRDAN125P0005V01201617। यूआइडी: 3888।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

के अन्तर्गत उद्यानिक फसलो हेतु पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित रबी 2019-20

**HDFC
ERGO**

Take it easy!

बीमा कराने की अंतिम तिथि

मौसम	दिनांक
रबी	31 दिसंबर

दावा भुगतान की विधि: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित स्वचलित मौसम केन्द्रों के आकड़ों की अनुमोदित टर्मशीट से गणना कर दावों का आंकलन किया जायेगा एवं दावा राशि का भुगतान सीधे कृषक के बैंक खाते में किया जाएगा। जो कि निम्नलिखित सूत्रफल पर आधारित होगा।

दावा = दावा प्रति हैक्टर x बीमित क्षेत्रफल प्रति हे।

अक्रणी कृषकों हेतु बीमा विधि एवं दस्तावेज:

अक्रणी कृषक अपने सम्बन्धित बैंक जहाँ कृषक का ऋण/बचत बैंक खाता हो या सी एस सी सेन्टर पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके खाते से प्रीमियम जमा कर बीमा करा सकते हैं।

- भू अधिकार पुस्तिका
- बुवाई प्रमाण पत्र (पटवारी अथवा ग्राम पंचायत)
- पूर्णतः भरा हुआ प्रस्ताव पत्र
- पहचान पत्र (पहचान प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड)
- आधार कार्ड अनिवार्य

योजना के लाभ:-

1. समस्त कृषक को जो अधिसूचना के अनुसार अधिसूचित फसल की खेती कर रहे हैं।
2. अधिसूचित उद्यानिकी फसलों के लिए अधिकतम 5 प्रतिशत प्रीमियम दर।
3. स्थानीय ओलावृष्टि जोखिम से सुरक्षा*।

योजना की जानकारी एवं बीमा करवाने हेतु निकटतम बैंक शाखा/सहकारी/उद्यानिकी विभाग/सी एस सी सेन्टर अधिकृत एजेंट एवं बीमा कंपनी से सम्पर्क करें।

*ओलावृष्टि जोखिम अन्तर्गत बीमा कंपनी को कृषक द्वारा हमारे टोल फ्री नं. **1800 2660 700** पर 72 घण्टों में सूचना देनी होगी। बीमा का लाभ लेने एवं अभिकर्ता (एजेंट) बनने हेतु संपर्क करें - **1800 2660 700**.

योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिये कॉल करें:

 **1800 2660 700**